



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 37/15

निर्णय दिनांक:—23.07.2018

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. झीमा पत्नी भैरुराम | पिसरान भैरुराम जाति बिश्नोई<br>निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील<br>व जिला बीकानेर। |
| 2. शंकरलाल            |  |
| 3. महीराम             |  |
| 4. गुलाबी             |  |
| 5. चावली              |  |
| 6. कमला               |  |
| 7. भंवरी              |  |
| 8. नेमाराम            | पिसरान मोहनराम जाति बिश्नोई<br>निवासी कुदसू तहसील नोखा जिला<br>बीकानेर।        |
| 9. हडमानराम           |  |
| 10. गोपीराम           |  |
| 11. गुमानाराम         |  |

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनां 27-03-2015  
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थित:

1. श्री राजेन्द्र गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 27-03-2015 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा

वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम झंझू तहसील कोलायत स्थित गत् खसरा नम्बर 729/158 रकबा 100 बीघा गत् बन्दोबस्त से अपीलांट संख्या 1 के पति भैरूराम एवं ताराचन्द की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। ताराचन्द ने अपने हिस्से की भूमि अर्थात् 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 8 ता 11 को विक्रय कर दिया गया। जिसका इंतकाल संख्या 2366 दिनांक 05-01-1994 को स्वीकृत होकर जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 में खाता संख्या 557 पर दर्ज है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 729/158 रकबा 100 बीघा में अपीलांट संख्या 1 के पति भैरूराम का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांट संख्या 8 से 9 का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांट संख्या 10 से 11 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। सभी अपीलांटान अपने - अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

उन्होंने आगे बताया सेटलमेंट के दौरान वादगत् भूमि जिसे नये खसरा नम्बर 376 रकबा 25.69 हेक्टर कोष्टक में 8.65 हेक्टर जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 में खाता संख्या 589 में दर्ज किया गया। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि सेटलमेंट को केवल पुराने अंकन को ही रिपिट करने का अधिकार है। रकबे को कम या ज्यादा करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को हासिल नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28-03-2001 को खुला रकबा एवं वास्तविक रकबा कोष्टक में दर्ज किया गया है। जिसको दर्ज करने का अधिकार व संबंधित समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अवैध एवं निष्प्रभावी है। जबकि अपीलांट/वादीगण 100 बीघा पर वास्तविक कब्जा काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। अपीलांट वादगत् भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज है तथा वादगत् भूमि के चारों ओर बाड़, बाउण्डरी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का कथन कि वादगत् भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है मिथ्या

कथन है। अपीलांट्स के वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त की पुष्टि राजस्व रिकार्ड से साबित है। गणितीय त्रुटि के कारण यदि उक्त खसरे का मिलान नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वादीगण का खसरा नम्बर 356 के अलावा जिन-जिन खसरों में भूमि पड़ती है का वादीगण को खातेदार धोषित किया जाकर उनके खाते में अंकन कराने का वादीगण/अपीलांट्स कानूनी रूप से अधिकारी हैं।

उन्होंने आगे बताया कि वादीगण/अपीलांट्स के खाते की भूमि कम करने की कार्यवाही से पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई नोटिस अथवा सूचना व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना हुई है। अपीलांट की भूमि राजस्व रिकार्ड में निरन्तर 100 बीघा चली आ रही थी। अदालत मातहत द्वारा बिना रेवेन्यू रिकार्ड का अवलोकन किये मात्र सेटलमेंट विभाग के अंकन को सही मानते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष स्टेट का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। उक्त तनकीयात् में तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि भू-प्रबन्ध विभाग को खाते की भूमि काटकर कम करने का अधिकार नहीं होने से अंकन अवैध एवं निष्प्रभावी है। — वादी। तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आया कि नया खसरा नम्बर 376 में रकबा 8.65 हेक्टर अतिरिक्त वादीगण के कब्जा में आने वाली भूमि जो कि नये खसरा नम्बर अंकित किये गये है वादीगण के वास्तविक कब्जे के अनुरूप खातेदार टीनेन्ट धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में समस्त 100 बीघा भूमि खातेदारी अंकित किये जावें की डिक्री प्रदान की जा सकती है। — वादी। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आया कि प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा दी जा सकती है। — वादी। तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आया कि वादीगण का खसरा नम्बर 729/158 रकबा 100 बीघा पर कब्जा नहीं है। — प्रतिवादी।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वाद में नियमानुसार तनकीयात् तो कायम की गई, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में किसी

भी तनकीयात् का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा यदि नियमानुसार तनकीयात् पर विवेचन अंकित करते हुए निर्णय पारित किया जाता तो यह तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उभर कर सामने आ जाता कि वादगत् भूमि भू-प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व ही राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज भूमि थी तथा अपीलांट/वादीगण के कब्जे काश्त में थी। भू-प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार हासिल नहीं है भू-प्रबन्ध विभाग केवल पूर्व की एन्ट्री को रिपीट ही कर सकता है। भू-प्रबन्ध विभाग को ना तो नई एन्ट्री करने का अधिकार है ना ही भूमि को कम या ज्यादा करने का अधिकार है ना ही राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार हासिल है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करते हुए राजस्व रिकार्ड में पूर्व में स्थापित इन्द्राज को परिवर्तन किया गया है जिसका कि उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड से साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि रही है। जिसे बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा 25.69 हेक्टर के स्थान पर 8.65 हेक्टर दर्ज किया गया है। जो स्पष्ट रूप से राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है जो पुष्टि योग्य आदेश नहीं है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट्स को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में वादगत् भूमि गणना की त्रूटि के कारण अधिक दर्ज हो गई थी। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वास्तविक कब्जे के आधार पर रकबे की गणना करते हुए कोष्टक में वास्तविक कब्जे काश्त की भूमि का अंकन किया गया है। वादगत् भूमि के बाबत् वास्तविक कब्जे काश्त की रिपोर्ट संबंधित पटवारी से प्राप्त होने के उपरान्त ही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकार्ड में अंकन किया गया है। अपीलांट के अलावा अन्य कृषकों

व सिवाय चक भूमियों को भी कम किया गया है। वास्तव में रकबा मौके पर 1360.01 हेक्टर है जो गणितीय त्रुटि के कारण 503.11 हेक्टर दर्ज कर दिया गया। जबकि मिलान करने पर रकबा 136.01 बीघा होता है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही मौके की वास्तविक स्थिति व रकबे के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा कहीं भी रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वास्तविक कब्जे काश्त के आधार पर रकबे को कोष्टक में अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश रिकार्ड के अनुसार ही आदेश जैर अपील पारित किया है। जो विधि सम्मत आदेश है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत दावा बाबत धोषणात्मक एवं राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती एवं चिरनिषेधाज्ञा का पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27-03-2015 जिसके द्वारा अपीलांट/वादीगण का दावा खारिज किया गया है के विरुद्ध अपील सरकार ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम झझू के खेत खसरा नम्बर 729/158 तादादी 100 बीघा भूमि बन्दोबस्त से वादी भैरूराम एवं ताराचन्द की संयुक्त खातेदारी भूमि थी तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे नये खसरा नम्बर 376 रकबा 25.69 हेक्टर कोष्टक में 8.65 हेक्टर जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 में खाता संख्या 589 में दर्ज किया गया। जबकि सेटलमेंट

विभाग को उक्त अंकन करने का अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग पूर्व के इन्द्राज को ही रिपीट कर सकता है, अपने स्तर पर कोई नया इन्द्राज करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त इन्द्राज को विलोपित करते हुए वादगत् भूमि का अपीलांट को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स/वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048, 2049 से 2052, जमाबन्दी संवत् 2053 में बतौर 100 बीघा भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। वादगत् भूमि अपीलांट्स की दिनांक 13-05-1966 को खरीदशुदा भूमि रही है। तब से वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(4) प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या भू-प्रबन्ध विभाग को रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? व भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया है वह उनके क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं? इस संबंध में विधि का यह सिद्धान्त है कि भू-प्रबन्ध विभाग को मात्र एन्ट्री को रिपीट करने का अधिकार है ना कि किसी प्रकार की कोई नई एन्ट्री करने का अधिकार प्राप्त है।

(5) प्रस्तुत मामलें में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत् भूमि के बाबत चले आ रहे इन्द्राज अर्थात् अपीलांट की खातेदारी भूमि 100 बीघा यानि 25.69 हेक्टर को कम करते हुए 8.65 हेक्टर भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है। जिसका आधार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा यह लिया गया है कि मौके पर वास्तव में रकबा 136.01 हेक्टर की बजाय 503.11 हेक्टर गणितीय त्रुटि से दर्ज कर दिया गया है। पुराना खसरा नम्बर 58 मिसल बन्दोबस्त 2005 के अन्दर 503.11 बीघा दर्ज है जबकि रकबा मिलाने पर 136.01 बीघा रकबा होता है। इसी को आधार मानते हुए अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद के संबंध में नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। उक्त तनकीयात् में **तनकी संख्या 1 कायम** की गई कि आया कि भू-प्रबन्ध विभाग को खाते की भूमि काटकर कम करने का अधिकार नहीं होने से अंकन अवैध एवं निष्प्रभावी है। - वादी। **तनकी संख्या 2 कायम** की गई कि आया कि नया खसरा नम्बर 376 में रकबा 8.65 हेक्टर अतिरिक्त वादीगण के कब्जा में आने वाली भूमि जो कि नये खसरा नम्बर अंकित किये गये हैं वादीगण के वास्तविक कब्जे के अनुरूप खातेदार टीनेन्ट धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में समस्त 100 बीघा भूमि खातेदारी अंकित किये जावें की डिक्री प्रदान की जा सकती है। - वादी। इसी प्रकार **तनकी संख्या 3 कायम** की गई कि आया कि प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा दी जा सकती है। - वादी। **तनकी संख्या 4 कायम** की गई कि आया कि वादीगण का खसरा नम्बर 729/158 रकबा 100 बीघा पर कब्जा नहीं है। - प्रतिवादी।

प्रकरण में जब अदालत मातहत स्वमेव जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम की गई थी कि क्या भू-प्रबन्ध विभाग को खाते की भूमि काटकर कम करने का अधिकार नहीं होने से अंकन अवैध एवं निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि उक्त तनकीयात् का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना चाहिए था। यदि अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकीयात् का निस्तारण विधि सम्मत तरीके से किया जाता तो उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष ही साबित हो जाता कि क्या भू-प्रबन्ध विभाग को खाते की भूमि काटकर कम करने का अधिकार है अथवा नहीं।

इसी प्रकार **तनकी संख्या 2 कायम** की गई कि आया कि नया खसरा नम्बर 376 में रकबा 8.65 हेक्टर अतिरिक्त वादीगण के कब्जा में आने वाली भूमि जो कि नये खसरा नम्बर अंकित किये गये हैं वादीगण के वास्तविक कब्जे के अनुरूप खातेदार टीनेन्ट धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में समस्त 100 बीघा भूमि खातेदारी अंकित किये जावें की डिक्री प्रदान की जा सकती है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को कायम तो कर दिया गया परन्तु अपने निर्णय में उक्त तनकी का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा मात्र भू-प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही को सही मानने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

(7) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035, 2036 से 2039, 2045 से 2048 व 2049 से 2052 में 100 बीघा अर्थात् 25.29 हेक्टर दर्ज चली आ रही है। प्रकरण में तमाम राजस्व रिकार्ड अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा मात्र भू-प्रबन्ध विभाग के इन्द्राज को सही मानते हुए अपीलांट का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि भू-प्रबन्ध विभाग को मात्र एन्टी रिपीट करने का अधिकार है, पूर्व में चले आ रहे इन्द्राज को कम या ज्यादा करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को हासिल नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज क्षेत्राधिकार से बाहर की गई कार्यवाही है।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2001 पेज 60 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि:-

**Rajasthan Land Revenue Act, Section 136 - Revision against order of Addl. Devisional Commissioner - Correction of entries - Held during settlement operations, Asstt. Settlement Officer deleted the name of recorded khatedar of land.... Settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any order of the competent Court - Order of Collector and Asstt.**

Commissioner set aside- Original entries to be repeated in jamabandi - In case of death of any khatdar, names of entries representatives may be added - Non petitioners are free to go to the competent court in respect of their rights.

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे 2006 पेज 205 में भी स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:-

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 136 - Settlement in settlement proceedings, entry in previous settlement to be repeated unless change occurred as result of order of competent authority...., certified by mutation order, in this case non applicants, but during the settlement proceedings the land was entered as Sawai Chak without any basis. **Whereas settlement authorities have no right to delete the Original entry and make new entries without any order of the competent Court.**

उपरोक्त दोनों नजीरों के प्रकाश में यह तथ्य सुस्पष्ट साबित है कि सेटलमेंट विभाग को पूर्व की एन्ट्री को रिपिट करने का अधिकार मात्र प्राप्त है ना ही किसी प्रकार का कोई नया इन्द्राज करने का अधिकार प्राप्त है।

(8) प्रस्तुत मामलों में यदि मौके पर वास्तविक रूप से भूमि कम थी तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो स्वयं भूमि धारक होता है को अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए थे। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र सेटलमेंट विभाग के द्वारा की

गई कार्यवाही के आधार पर ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रूटि कारित की गई है।

(9) प्रकरण में प्रारम्भ से लेकर आज दिनांक तक की वस्तुस्थिति इस प्रकार है:- वादगत् भूमि संवत् 2005 में 503.11 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलांट्स के धारण की भूमि पूर्व में मूल खातेदार रामरख वल्द कानाराम ऑलोटी के नाम 125 बीघा भूमि दर्ज थी। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि दिनांक 13-05-1966 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई जिसका इंतकाल संख्या 768 दर्ज किया गया।

तत्पश्चात् वादगत् भूमि अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023, 2032 से 2035, 2036 से 2039, 2045 से 2048 तक 100 बीघा भूमि दर्ज रही है। जिसे जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 व 2069 से 2072 में बीघा अर्थात् 25.29 हेक्टर के स्थान पर 8.65 हेक्टर दर्ज किया गया है। इसप्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत गवाहान से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण की भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलांट्स के धारण की भूमि व अपीलांट्स के हक व हकूकों के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। केवल मात्र सेटलमेंट के इन्द्राज को आधार मानते हुए अपीलांट्स का वाद खारिज किया गया है। जो कानूनी दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता है।

(10) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13-05-1966 को खरीदशुदा भूमि रही है तथा तभी से अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना कब्जे काशत की रिपोर्ट प्राप्त किये व बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये, जबकि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स के नाम निरन्तर चली आ रही है, अपीलांट्स का वाद खारिज करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व न्यायसंगत आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27-03-2015 निरस्त किया जाकर अपीलांत को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

